

प्रेषकः

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
सरकारी शासन।

सेवा में

शिक्षा निदेशक (वैसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-४

लखनऊ: दिनांक: ०४ मई, 2013

विषय: अशासकीय नरसरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दियें जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके मन्त्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम् न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्तं पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षां देने वाले अशासकीय नरसरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान कियें जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उपरान्त निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 द्वारा में अपने आर्थिक ज्ञोतों से पूरा बरने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अनिन शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

(4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थः छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आरईएस, के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है:-

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन-अवर अभियन्ता

2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय-सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में घूम व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्ष-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन की सीढ़ियों जो निकास भार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी गयी हो ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

(7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त असंहायति विद्यालय संचित्पत्र प्राप्ति होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) पूर्व से सान्तुता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्तें:-

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के क्रम में निर्धारित उठप्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी:-

- (क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- (ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्णीत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रण सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (छ) विद्यालय का खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सकाम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आव्यय एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
- (ঠ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके सदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में शिक्षा निदेशक (b) का आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
- (ট) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी; जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कर्मियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कर्मियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। कर्मियों का निराकरण निर्धारित अवधि में राम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

. 4 .

उपरोक्तानुसार अंकसर दिये जाने के सपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो ८०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से ०३ वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्योहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) मान्यता समिति :-

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता हेतु मण्डल स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जो निम्नवत होगी :-

- | | |
|--|------------|
| 1— सम्बन्धित सहायक शिक्षा निदेशक, (बैंसिक) | अध्यक्ष |
| 2— सम्बन्धित जिला बैंसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 3— जनपद का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |

जिला बैंसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बैंसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रालूप (संलग्नक-२) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

- (4) अशासकीय नसरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी जिला बैंसिक एवं शर्तों-

आवेदन की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में लघि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं :-

- (1) प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-१ से ५ तक की कक्षायें)।
- (2) प्राइमरी स्तर (कक्षा-१ से ५ तक)।
- (3) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-१ से ८ तक की कक्षायें)।

- (5) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :-

(1)—निर्धारित प्रालूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्रापट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बैंसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बैंसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बैंसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाधीकन में राजकोष में चालान द्वारा जाना किया जायेगा)।

निर्धारित शावेदन पत्र का प्रारूप निम्नलिखि एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्तार-४ के बिन्दु (1) व (2) पर अंकित स्तरों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रु० 2000/- तथा क्रमांक-३ पर अंकित प्रस्तार की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क रु० 3000/- सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा करेया जायेगा।

(2) यिद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में ₹० 10000/- (₹० दस हजार मात्र) की एन०एस०सी जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से पूँजी होगी।

(3) - आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से सम्बन्धित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/^{पंचायत सदस्य}/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियों प्राप्ती जाये, उन्हें जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर विद्यालय की आपत्तियों सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्कृति मान्यता समिति के विवारण प्रस्तुत करेगा।

(6) वित्तीय शर्ते

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान रु० 20,000/- मूल्य की धनराशि का होगा। वह संसाधन अप्रत्यक्ष अथवा ज़कद रूप में रखी जा सकती है यथा :-

- (1) नकद धनराशि ।
 (2) सरकारी जमानत ।
 (3) अचल सम्पत्ति ।

टिप्पणी :-

यदि संवाल नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति

के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि-पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अबल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एकजीकृतिव आफिसर अथवा उच नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा रु० 5000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधिक होना चाहिए।

(7) मान्यता

आवश्यकता— (1) विद्यालय को मान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब विद्यालय के कौचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत होना अपेक्षित है—

| | |
|---|------------------|
| (क) प्री-प्राइमरी तथा प्राइमरी | 200 (07 कक्षाएँ) |
| (ख) प्राइमरी | 150 (05 कक्षाएँ) |
| (ग) प्री-प्राइमरी; प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल | 275 (10 कक्षाएँ) |
| (घ) प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल | 225 (08 कक्षाएँ) |

प्रदेश के शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निरिचत की जायेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन०सी०ई०आर०ट००/एस०सी०ई०आर०ट०० द्वारा निर्धारित अथवा बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया पुस्तकों के अतिरिक्त किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किया जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाय, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(8) भौतिक संसाधन

(1) मवन

- (क) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त नियम नियम होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

(ख) मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात् प्रत्येक कक्ष कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चों कक्ष में शैक्षणिक गतिविधियों सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

(ग) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

(घ) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ङ) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(च) विद्यालय भवन का वाहन रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(2) प्रीडा स्थल

खेलकूद के लिये यथा सभव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप ब्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, बालीवॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो-खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छान्नाएँ कर सकते हों।

विशेष :-

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आबादी घाले नगर क्षेत्र में बालिका के विद्यालयों में जहाँ स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छट दी जा सकती है। क्रीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(3) साज-सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बोंच, मेजें तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी, गेज उपलब्ध होने चाहिए।

(4) पुस्तकालय

प्राथमिक विद्यालयों कक्षा-५ के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषय की कक्षा-५ तक की पुस्तकें तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा-८ तक की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद प्रस्तरों तथा पत्र-पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है।

(5) विज्ञान सामग्री

विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

(6) शिक्षण सामग्री

प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने चाहिए।

(7) मानव संसाधन

स्टाफ वेतनमान, सेवा शर्तें

(क) प्री-प्राइमरी से कक्षा-८ तक के शिक्षण के लिए उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-२०११ की धारा-८ के प्रस्तर-१५ में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अंहताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया, एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।

(ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवेशकाल, स्थाईकरण तथा दर्ढ के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के सक्षम अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के प्रबन्धाधिकरण के सक्षम अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी कर्मचारियों (प्रबन्धानाथ्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी

7-

कर्मचारी) के मध्य विधि सान्चय सेवा अनुबंध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

शुल्क

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान बहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वैतन मुग्धता के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मर्दों में शुल्क लिया जा सकता है :-

- 1— शिक्षण शुल्क, 2— महंगाई शुल्क, 3— विकास शुल्क, 4— विजली पानी आदि, 5— पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6— विज्ञान शुल्क, 7— श्रव्य शुल्क, 8— क्रीड़ा शुल्क 9— परीक्षा / मूल्यांकन, 10— विद्यालय समारोह / उत्सव, 11— विशेष विषयों की शिक्षा— कम्प्यूटर / संगीत आदि।

नोट :-

- 1— पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।
- 2— मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।
- 3— विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(10) शैक्षिक सत्र 2013-14 की मान्यता प्रदान करने के संबंध में सम्पर्क संगीणी :-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक / सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लम्बित है, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक नवीन मान्यता विषयक शत्रों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोट:- जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु

- 10 -

कमियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(11) शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:-

विद्यालय की मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्राल॑प-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण समय-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:-

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना। | 01 जुलाई से 31 अगस्त |
| 2. | प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना। | सितम्बर प्रथम सप्ताह |
| 3. | आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण | 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर |
| 4. | सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्तों परी करने हेतु सुचित किया जाना। | नवम्बर से दिसम्बर |
| 5. | आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावेदन स्वीकार करना। | जनवरी-फरवरी |
| 6. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना। | मार्च |
| 7. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना। | 31 मई तक |

नोट:- मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(12) मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

शैक्षिक सत्र 2014-15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आन लाईन होगी, जिसके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृष्ठक से निर्गत किये जायेंगे।

(13) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण:-

जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलेखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदत्त ००८१

किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(क)- विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उस स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(ख)- निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय प्रबन्धतंत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की स्थिति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक माह (01) की अवधि में सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(ग)- समिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अंदर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।

(घ)- मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुख्यरित आदेश (Speaking order) जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शिक्षक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उक्त पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता विद्यालयों के वच्चों को नामांकित कराया जायेगा। प्रत्याहरित विद्यालयों के वच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

✓

- 12 -

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये सशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया जिर्षारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस वापरि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सन्विधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह भान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक—यथोक्त

भवानीय,

मैरि¹³
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर्द शिक्षा निदेशक (ब०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

१०८)

आज्ञा से,

(समीता श्रीवास्तव)
संग्रहक सचिव।

०४ नवंबर २०१३

क्रमांक - ५१९/७९-८ - २०१३-१८(२०)/१

परिशिष्ट

प्रारूप-१

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषण-सह-आवेदन (नियम-१५ का उपनियम (१) देखिए)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी;

(जिला और संघ राज्यव्होत्र का जाग)

महोदय,

मैं एतद्वारा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और भासकों के अनुपालन के संबंध में एक स्वःघोषणा और.....
(विद्यालय का नाम)
को.....वर्ष २०.....विद्यालय के प्राइम से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्राचीन वे एक आवेदन अंतिम रूप से हैं।

लालन सिंह :

.....

राधिका :

राधिका :

By Computer Date १०/१०/२०१३

| | | |
|----|---|--|
| 7. | कथा विद्यालय के भवन या अस्थ संरचनाओं या श्रीड़ि एवं लौ का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोगान लिए विद्या जा सत है | |
| 8. | विद्यालय का कुल बज्रफल | |
| 9. | विद्यालय का निर्मित क्षेत्र | |

| घ. जामाकरन प्रारम्भिक | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | वर्गका | भेदभानी की संख्या | विद्यार्थी की संख्या |
| 1. | पूर्व-ग्राहणिक | | |
| 2. | 1 से 5 | | |
| 3. | 6 से 8 | | |

| छ. आवस्यकता के बारे और इकायता संबंधी दस्तावेज़ | | | |
|--|---|--------|----------|
| | वर्गका | संख्या | आसत आकार |
| 1. | दृश्या | | |
| 2. | कायालय लैसेन्स-होड़र कक्ष-तह-प्राध्यापक कक्ष | | |
| 3. | एसोइ-सह-बोर्डर | | |

| घ. अन्य मान्यवाएः | | | |
|-------------------|---|--------|----------|
| | वर्गका | संख्या | आसत आकार |
| 1. | प्रया: रानी प्रसुविवाही नक्श याधारहित पहुँच प्राप्ति | | |
| 2. | आव्याप्त प्रठन सामग्री (सूनी सेलगन करो) | | |
| 3. | खेलकुद और लैंड एवं प्रपत्तकर (भूती लंगन करो) | | |
| 4. | पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा पुस्तक (पुस्तकों की संख्या) पंत्रिकाएँ/सामाजिक-पत्र | | |
| 5. | पेयजल गुणिधारी की किसी भी संख्या | | |
| 6. | स्वच्छता संबंधी दस्तावेज़ (i) डॉक्यू सी.आर. सूनीलयों की किसी (ii) गालवगे तें लिए पृथक् मूवालयों/राजि गृहों की संख्या (iii) संतिकाली लिए पृथक् नवीनीयों/पृथक् गृहों की संख्या | | |

| घ. अव्याप्ति एवं अलौकिक विवरण | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| | वर्गका | संख्या | आसत आकार |
| 1. | अद्याप्ति प्राप्त भाग (1) | (पिता/पति शा.परि.) वा भाग (2) | (3) |

| अध्यापक का नाम (1) | पिता/पति/पापल्टी का नाम (2) | जन्म की तारीख (3) |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| शैक्षक शहर (4) | वृत्तिका अवस्था (5) | अध्यापन संबंधी अनुभव (6) |
| सौपी/गई कक्षा (7) | नियुक्तिकी तारीख (8) | प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9) |

३ प्रधान अध्यापक

| | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| अध्यापक का नाम (1) | पिता/पत्नी का नाम (2) | जन्म की तारीख (3) |
| शैक्षिक अंडाता (4) | वृत्तिका अंडाता (5) | आध्यापक संबंधी अनुमति (6) |
| सांपी गई कक्षा (7) | नियुक्ति की दर्शाएँ (8) | प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9) |

Digitized by srujanika@gmail.com

| | |
|----|---|
| 1. | प्रत्येक कक्षा में अगलाई गई प्रात्ययिक सी और प्राप्त्यक्षम् के व्यारे (विद्या VII तक) |
| 2. | विद्यार्थियों के निर्धारणों की प्रवृत्ति |
| 3. | कथा विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक काहि बोड |
| 4. | परीक्षा देने की अनुमति की जाती है। |

(अ) ग्रनार्नित किया जाता है कि विद्यालय ने एस. अवैदन के साथ जिला शिक्षा संघर्ष प्रशासी से इस टाई-कॉप्पर प्रस्तुप में भी जुड़ा रहा है।

(अ) प्रभागिक लिया जाता है कि राष्ट्रपिता विकासी शिक्षण संस्थाएँ का अन्तर्भुक्ति दिया जाएगा।

(८) एकांशिक किसी प्राप्ति के क्षेत्र में विद्युतीय यह अपेक्षित करता है कि बड़े ऐसी स्थिति और स्थानों पर जो उनके साथ प्राप्त होती है जिनमें अधिकारी द्वारा दोषीत्वात्मक विवरणों का विवरण दिया जाता है तो उन्हें उनके लिए उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसका अधिकारी द्वारा दोषीत्वात्मक विवरण दिया जाता है तो उन्हें उनके लिए उपलब्ध नहीं किया जा सकता।

(८) ग्रामपालिं किया जाता है कि भूरे वाधिकारी ने इस विवाह के अधिकार दिल्ली भी प्रभु घिला, शिवा आदिकारी ने वाराणसी वाधिकारी द्वारा भागिता की गई आदिकारी को राजनीतिक और राजनीतिक दोनों ओर अवश्यक विषयों पर अपनी विश्वासीता वाचन करने का उपराजनक विषय बनाया था। इनके बावें विश्वासीता, विश्वासीता विवाह के बाबत उनकी वाचन करने में सहायता दी गई। इस विवाह के बाबत उनकी वाचन करने में सहायता दी गई।

- (iii) प्राथमिक विद्या, परी होने तक विद्या जी लालका से कोई बाइबल, ग्रन्टिंग, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक विद्या, परी कर्म गोले ग्रन्टिंग वालय के नियम २५ ने अधीन आविनाधिरा फिर श्री अनुसार एक प्राथमिक बदलाव विद्या जापान १९३७ के ४ अक्टूबर

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नियोजितता शर्त/विशेष अविश्वासीता याके विद्यार्थियों को मुक्ति दिया जाना ।

(vi) अध्यापकों द्वारा अधिनियम नियम ३(1) के अधीन व्यथा/अधिकारित चूपताम अहंताओं के खाल वक्त जाती है। परन्तु यह नीर कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर चूपताम अहंता नहीं है, पांच दर्जे की अवधि के भीतर ऐसी चूपताम अहंता अहंता अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा २५(1) के दावीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और

(viii) अध्यापक स्वयं यो विद्या नियंत्रित अध्यापन क्रियान्वयनों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारीत व्यष्टिशीली वो आदार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा १९(२) परामर्शित विद्यालय के भूगणकों और उनियमों की बनाप्त स्थेता। अतिम नियोजन के समय रिपोर्ट युक्त असुविधाएं नियमानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर प्रा केन्द्रपाल

कुले निर्मित क्षेत्र १०
एकांश्यत वैग-योगाहर
क्षमता की अवधि

प्राचीनक संस्कृतालय-संस्कृतालय के लिए यह
प्राचीनक शीर्ष वारिकाओं के लिए प्रथम संस्कृतालय

प्रेषण्डल संस्कृता

ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿ ਰਖੀ ਹੈ।

१५. विद्युत ग्रन्थ
१६. विद्युत विज्ञान
१७. विद्युत विज्ञान विद्या
१८. विद्युत विज्ञान विद्या के लक्षण
१९. विद्युत विज्ञान विद्या के लक्षण
२०. विद्युत विज्ञान विद्या के लक्षण

प्रसाद विनाशक तथा अन्य विनाशकों की प्रतिकूली विनाशक है।

परिवर्तन के दौरान अंग्रेजों द्वारा लड़ाकुला अस्थि ग्रनाइट (Gneiss) (1860 वर्ष) द्वारा बनायी गयी थी। लड़ाकुला अस्थि ग्रनाइट के खट्टीने गोले भिंडी द्वारा बनायी गयी हैं।

किंतु यह किसी व्याप्ति नहीं हो सकता क्योंकि अन्य लोकों द्वारा उसके लिए

२५४ देवता की जाति अपने लिए बहुत सारी विधियाँ बनाए हैं।

२४५

૪૮

३-मेह

५८

• ४८

ਪਿੰਡਾ ਦਿਕਾ ਆਖਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ੍ਯਾਲਾਦ

(ਜਿਲਾ/ਸਥਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹਾਈ ਨਾਮ)

३

सौराष्ट्रपत्र

ਮੁਖੀਧਕੋ

विषय : गिरजानक और अविवाही यात्रा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के प्रयोगसंख में लिए निपटनक और उनियार्थी बाल शिक्षा का आधिकार नियम, 2019 की धारा 15 के उनियार्थ (4) के अधीन विद्यालय विभाग द्वारा जारी कराया गया।

पद्मोदय/मंसोदया

आपके तारीख के आवेदन और हरा संबंध ने लिंगालंड के इत्थरातवार प्रशासन/नियोजन के प्रयोगिकरण से, मैं (विधालंड का गोपनीय अधिकारी) को चाहीं। तारीख: राष्ट्रीय विधालंड के लिए अनुसन्धान भावना प्रयोग-रहने की सुझावना देता है।

उपर्युक्त अंजुरी निम्नलिखित भारों परे प्रभाव का देखना है।